Rs.5 FEE INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 | 5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 | 5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(21)

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर कैंप, उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. /2018 निगरानी निगरानी- 6545/2018/उज्जैन/भू.रा.

श्रीमती ललिता पति विजयसिंह भदौरिया,
निवासी-ग्राम हामूखेड़ी तहसील व जिला
उज्जैन म.प्र. ....प्रार्थी/निगरानीकर्ता

प्रार्थी अभिभाषक श्री लोकेन्द्रसिंह भदौरिया
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 13/12/18
अधीक्षक 13.12.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. श्रीमती मांगूबाई पति प्रहलादसिंह
पुत्री गोरधनसिंह, निवासी-ग्राम मानपुरा
तहसील व जिला उज्जैन म.प्र.

2. म.प्र. शासन......प्रत्यर्थीगण/प्रतिप्रार्थी

624
10.11.18

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत निगरानीकर्ता की ओर से माननीय न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 30/11/2018 के प्रकरण क्रं. 43/अपील/2017-18 से असंतुष्ट व दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की और से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है:-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रकरण क्रं. 43/अपील/2017-18 में आदेश दिनांक 30/11/18 को पारित किया गया है। जिससे असंतुष्ट व दुखी होकर प्रार्थी/निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर रही है।

2. यह कि, प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील व जिला उज्जैन में एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-109-110 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया था। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने उक्त आवेदन पत्र कृषि भूमि के नामांतरण के संबंध में प्रस्तुत किया था। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने प्रत्यर्थीगण/प्रतिप्रार्थी से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

7

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6545/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/08/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 30.11.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	